उ0प्र0 वन निगम निष्प्रयोज्य वाहन ई. नीलाम शर्तें

1. निष्प्रयोज्य वाहन के ई. नीलाम में भाग लेने हेतु ई. नीलाम वेबसाईट https://upforesteauction.com पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराकर भाग लिया जा सकता है। जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस रू. 50,000.00 है जो कि रिफण्डेबल होगा।
2. निष्प्रयोज्य वाहन की ई. नीलामी जहां है जैसे के आधार पर होगा।
3. निष्प्रयोज्य वाहन की बोली विधिवत देखकर ही दें, बोली देने के पश्चात् कोई भी प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा।
4. जमानत की धनराशि विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत 18 प्रतिशत जी.एस.टी. अतिरिक्त नीलाम की तिथि छोड़कर अगले 02 (दो) दिनों के भीतर सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी के पक्ष में निर्धारित प्रक्रियानुसार जमा की जायेगी। बैंक अवकाश अथवा बैंक बन्द होने के कारण ये अवधि सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक विक्रय अधिकारी द्वारा कम्प्यूटर के माध्यम से अवकाश अवधि दिवसों की संख्या के बराबर आगे बढायी जा सकेगी। विशेष परिस्थितियों में यह कार्य मुख्यालय से भी किया जा सकेगा। तिथि बढ़ाने की प्रक्रिया का प्रभाव पूरे प्रदेश के डिपुओं पर लागू होगा। उक्त निर्धारित अवधि में केता द्वारा जमानत की धनराशि न जमा करने के कारण जमानत अवधि समाप्त होने पर अगले सात दिन तक विलम्ब शुल्क के साथ जमा की जा सकेगी। विलम्ब शुल्क जमानत धनराशि का 5 प्रतिशत, 18 प्रतिशत जी.एस.टी. अतिरिक्त प्रति दिन निर्धारित है। जमानत की धनराशि जमा करने की निर्धारित अवधि (दो दिन एवं बैंक अवकाश बंदी, यदि लागू हो) के समाप्त होने के पश्चात् विलम्ब शुल्क लागू होगा। विलम्ब शुल्क जनरेट किये जाने वाले चालान में स्वतः प्रदर्शित हो जायेगा। विलम्ब शुल्क की सात दिन की अवधि में कोई बैंक अवकाश अथवा बैंकबंदी के लिए कोई छूट अथवा कोई अतिरिक्त अवधि प्रदान नही की जायेगी। उक्त अवधि तक यदि केता द्वारा जमानत एवं देयकर नही जमा किया जायेगा तो उसकी बोली को अस्वीकार मानते हुए उसका पंजीकरण शुल्क रू. 50,000.00 जब्त कर लिया जायेगा तथा पंजीकरण आई०डी० ब्लाक की जायेगी एवं केता को काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाला जा सकता है। विलम्ब शुल्क से प्राप्त धनराशि पर देयकर सम्बन्धित कर लेने वाले विभाग को नियमानुसार जमा किये जायेंगे।
5. जमानत जमा होने के पश्चात् निष्प्रयोज्य वाहन का अनुमोदन की कार्यवाही की जायेगी।
6. निष्प्रयोज्य वाहन के विक्रय की स्वीकृति अनुमोदन होने पर देय धनराशि विक्रय मूल्य, आयकर जी०एस०टी० एवं अन्य शुल्क देय होगा।
7. निष्प्रयोज्य वाहन के अनुमोदन की सूचना रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर अथवा ई.मेल द्वारा प्रेषित की जायेगी।
8. अनुमोदन सूचना प्रेषण तिथि के अगले 15 दिन के भीतर, विक्रय मूल्य (प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० वन निगम के पक्ष में) एवं अन्य कर आदि का भुगतान (सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक विक्रय अधिकारी के पक्ष में) केता को जमा करना होगा। कार्यालय आदेश जारी होने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर वाहन की निकासी लेनी होगी। यदि एक सप्ताह के अन्दर निकासी नहीं ली जाती है तो जमा जमानत धनराशि जब्त कर निष्प्रयोज्य वाहन का पुनः नीलाम किया जायगा।

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक
उ०प्र० वन निगम
लखनऊ